जिला परिषदीय वाहनों की नीलामी की नियम व शर्त्तें:-

1. डाकवक्ता को डाक में भाग लेने के समय सुरक्षित जमा राशि का एक चौथाई जमानत की राशि जमा करना अनिवार्य होगा।
2. जमानत की राशि जमा करने के वक्त परिचय पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
3. प्रत्येक डाक वक्ता को तीन बोली लगाना अनिवार्य होगा।
4. डाक बोली की राशि सुरक्षित जमा की राशि से अत्यधिक हो जाने पर डाक के बीच में डाक वक्ता को उनके द्वारा बोली गई राशि डाक पटल पर जमा करने का निदेश दिया जा सकता है अगर वे राशि जमा करने में असमर्थ हो जाते है, तो उन्हें आगे की बोली नहीं बोलने दिया जायेगा और उन्हें डाक की कार्यवाही से बाहर कर दिया जायेगा।
5. सफल डाकवक्ता को डाक समाप्ति के पश्चात सम्पूर्ण डाक की राशि जमानत की राशि के सामंजन के बाद अवशेष राशि एक मुस्त उसी दिन जमा करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर उनके द्वारा जमा की गयी राशि, जमानत सहित जप्त कर ली जायेगी।
6. यदि प्रथम उच्चतम डाकवक्ता, डाक की संपूर्ण राशि डाक समाप्ति के पश्चात जमा करने में असफल होते है तो द्वितीय उच्चतम, डाकवक्ता के साथ बंदोवस्ती करने का निर्णय लिया जा सकता है। वे नीलामी लेने के लिए वाध्य होगें। अगर वे नीलामी नहीं लेते है तो उनकी जमानत की राशि जप्त कर ली जायेगी।
7. नीलामी के समय किसी समस्या/व्यवधान उत्पन्न होने पर जिला परिषद मुंगेर के बन्दोवस्त पदाधिकारी को यह अधिकार होगा कि वे इस निमित अपना नियमम/निर्णय दें तथा उनका निर्णय सभी डाकवक्ता को मान्य होगा।
8. जिला परिषद, मुंगेर के अधिकारी को नीलामी के नियमों एवं शर्त्तो में परिवर्त्तन/संशोधन अथवा निलामी को रद्द /स्थगित करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।
9. जिला परिषद मुंगेर की स्वीकृति के पश्चात नीलामी अमल में आयेगा।

20.1.17

उप विकास आयुक्त– सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
20.1.17 जिला परिषद, मुंगेर

INFAQUE/D/Bara babu/2017/Jan.17/Conditionn of Auction Notice for Tata Sumo BR 08P 0381 (21-01-17)